

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक : प. 3(5) शिक्षा-6/2020 (RAJKAJ 00451)

जयपुर, दिनांक : यथा हस्ताक्षर

आदेश

इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक: प. 3(2)शिक्षा-6/2015 दिनांक 12.10.2015 के बिन्दु संख्या 2(4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात तथा किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक कॉलेज से तीन वर्ष का ऑल इण्डिया कॉउन्सिल फॉर टैक्नीकल एजुकेशन (एआईसीटीई) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर उन्हें कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा। उक्त समस्त समकक्षता आगे शिक्षा में प्रवेश के साथ-साथ विज्ञान संकाय से संबंधित नौकरियों के लिये भी मान्य होगी।”

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,  
(राजेश दत्त माथुर)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार, विभाग राजस्थान।
8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, जयपुर।
9. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
10. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
11. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर।
12. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
13. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर/ सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर।
14. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा ग्रुप-2, विभाग राजस्थान।

Validity unknown Signature valid



Digitally signed by Rajesh Dutt Mathur  
Designation : Deputy Secretary  
Date: 2025.05.15 16:41:36 IST  
Reason: Approved